धारा 116 : प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हाजिरी

(1) ऐसा कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में हाजिर होने के लिए हकदार है या अपेक्षित है, अन्यथा तब के जब उससे इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित है, तो वह प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हाजिर हो सकेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ''प्राधिकृत प्रतिनिधि'' पद से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत होगा, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से हाजिर होने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति है और जो–

(क) उसका रिश्तेदार या नियमित कर्मचारी है; या

(ख) ऐसा कोई अधिवक्ता है, जो भारत में किसी न्यायालय में व्यवसाय करने का हकदार है और जिसे भारत में किसी न्यायालय के समक्ष व्यवसाय करने से वर्जित नहीं किया गया है; या

(ग) कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत लेखापाल या कंपनी सचिव, जो व्यवसाय करने का प्रमाणपत्र धारण करता है और जिसे व्यवसाय करने से वर्जित नहीं किया गया है;

(घ) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या बोर्ड के वाणिज्य कर विभाग का ऐसा सेवानिवृत्त अधिकारी है, जिसने सरकार के अधीन अपनी सेवा के दौरान समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी की रैंक की पंक्ति से अन्यून के पद पर कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो :

परन्तु ऐसा कोई अधिकारी, अपनी सेवानिवृत्ति या पदत्याग की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के समक्ष हाजिर होने के लिए हकदार नहीं होगा; या

(ड.) ऐसा कोई व्यक्ति, जो संबद्ध रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निमित्त माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत है।

(3) कोई व्यक्ति–

(क) जो सरकारी सेवा से बर्खास्त किया या हटाया गया हो; या

(ख) जो इस अधिनियम, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या किसी विद्यमान विधि या माल के विक्रय या माल या सेवाओं की पूर्ति या दोनों पर कर के अधिरोपण से संबंधित राज्य विधान–मण्डल द्वारा पारित किसी अधिनियम के अधीन किन्ही कार्यवाहियों से संबंधित किसी अपराध का दोषसिद्ध हो; या

(ग) जो विहित प्राधिकारी द्वारा कदाचार का दोषी पाया गया हो; या

(घ) जो दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत हो चुका हो,–

(i) खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के मामले में सदैव के लिए; और

(ii) खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के मामले में उस अवधि के दौरान जब तक दिवालियापन जारी रहे,

उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए अर्हित नहीं होगा।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्य माल ओर सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन निरर्हित है इस अधिनियम के अधीन भी निरर्हित समझा जाएगा।

उपयुक्त नियमः नियम 116